न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—276/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00276)

1. बिरदू सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी चावणिडया, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पुष्कर, जिला अजमेर।
2. शाखा प्रबंधक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा पुष्कर।
3. श्री रूपचंद पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माली
4. श्री दुर्गालाल पुत्र श्री नाथू, जाति माली
5. श्री रतनलाल पुत्र श्री नाथू, जाति माली
6. श्री देवीलाल पुत्र श्री नाथू, जाति माली
7. श्री योगेशपुरी पुत्र श्री शिवचरण, जाति माली
8. श्री केसाराम पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माली
9. श्री रामस्वरूप पुत्र श्री भंवरलाल, जाति माली
10. श्री बाबूलाल पुत्र श्री रतनलाल, जाति माली
11. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री खेमचंद, जाति माली
12. श्री सुखदेव पुत्र श्री दुर्गालाल, जाति माली
13. श्री लक्ष्मीचंद पुत्र श्री दुर्गालाल, जाति माली
14. श्री डालूराम पुत्र श्री दुर्गालाल, जाति माली
15. श्री ख्याली पुत्र श्री नारायण, जाति माली
16. श्री कालू पुत्र अमरा, जाति माली
17. श्री आसू पुत्र श्री नाथू, जाति नाई
18. श्री बिरदीचंद पुत्र श्री नाथू जाति नाई
19. श्री श्यामसुंदर पुत्र श्री नाथू जाति नाई
20. श्री नौरत पुत्र श्री चौथू जाति नाई
21. श्री घनश्याम पुत्र श्री रतनलाल जाति माली
22. श्री श्यामसुंदर पुत्र श्री देवीलाल, जाति माली
23. श्री पुष्करलाल पुत्र श्री दुर्गालाल, जाति माली

समस्त निवासीगण चावण्डिया, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.06.2018 उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, राजस्व वाद संख्या 2/2016

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री धमेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 से 23.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01.
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित.

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः–11.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 2/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार पुष्कर के समक्ष अंतर्गत धारा 60 एवं 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर स्थित खसरा नम्बर 883 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी एवं खसरा नम्बर 885 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 886 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 887 रकबा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 888 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी वर्किंग जमाबंदी व खाता संख्या 109 में भंवरसिंह मुतवन्ना मूलसिंह राजपूत दर्ज हैं। खसरा नम्बर 886 व 887 में भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चावण्डिया का भवन लगभग 40–50 वर्ष पूर्व बना हुआ है तथा खसरा नम्बर 883 एवं 885 व 888 पर स्थानीय ग्रामीणों के 40–50 मकान बने हुए हैं। इस प्रकार उक्त भूमि के खातेदार अपीलांट द्वारा कृषि कार्य में नहीं ली जाकर अकृषि कार्य में ली जा रही है। इसलिए उक्त भूमि को राजकीय भूमि घोषित की जावे। वर्तमान अपीलांट द्वारा जरिए अधिवक्ता उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 20.06.2018 के द्वारा गलत रूप से अपीलांट के खातेदारी अधिकार समाप्त किए जाकर भूमि राजकीय भूमि के रूप में दर्ज करने के आदेश दे दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 2/2016 में पारित निर्णय दिनांक 20.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 02 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने गलत रूप से एवं मनमाने तौर पर प्रार्थी की खातेदारी समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया जिसकी प्रार्थी को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी प्रार्थी के अधिवक्ता ने उसे आश्वस्त कर रखा था कि जब भी आपकी आवश्यकता होगी सूचित कर दिया जाएगा किंतु प्रार्थी के अधिवक्ता ने उसे कोई सूचना नहीं दी प्रार्थी जब दिनांक 7.8.2019 को अपने अभिभाषक से मिला तो उन्होंने कहा की आपके विरूद्ध निर्णय हो गया है मैंने तुम्हें पत्र भी दिया। किंतु प्रार्थी को आज दिन तक प्राप्त नहीं हुआ। तत्पश्चात प्रार्थी नकलें आदि लेकर अविलम्ब अजमेर आया एवं अभिभाषक नियुक्त कर उक्त अपील तैयार करवा अविलम्ब न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है उसके द्वारा भूमि पर कभी भी कोई अकृषि उपयोग नहीं किया गया है। उक्त वादगस्त आराजीयात पर अपीलांट के अधिकारों के विपरीत जाकर अपीलांट की खातेदारी की भूमि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चावण्डिया का कच्चा–पक्का निर्माण कर दिया गया जो अपीलांट की सहमति के विपरीत है। अपीलांट द्वारा कभी भी आराजीयात को गैर कृषि उपयोग में नहीं लिया गया है एवं ना ही अन्य लोगों के मकान अपीलांट की सहमति से बनाए गए बल्कि तहसीलदार को तो उपरोक्त अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही करनी चाहिए थी किंतु गलत रूप से अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो चलने योग्य ही नहीं था। इसके उपरांत भी उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर ने अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात को राजकीय भूमि दर्ज करने के आदेश दे दिए। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्थान ग्रामीण बैंक पुष्कर से ऋण भी लिया हुआ था एवं अपीलांट की आराजीयात पर गलत रूप से राजकीय भूमि बनाया जाना अपीलांट के अधिकारों के विपरीत है एवं उपरोक्त स्कूल अपीलांट द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। बल्कि राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है जिससे यह कतई साबित नहीं होता है कि अपीलांट द्वारा अराजीयात को अकृषि उपयोग में ली जा रही है क्योंकि उपरोक्त भूमि पर स्कूल का बना होना अतिक्रमी की हैसियत से है, इसलिए उपखण्ड अधिकारी पुष्कर द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर आदेश पारित कर दिया। अपीलांट की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा कर कोई कार्यवाही कर ली गई है तो उसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा विधिक कार्यवाही कर दी गई है किंतु उक्त कार्यवाही से अपीलांट के हक व अधिकार समाप्त नहीं होते। जिसे उपखण्ड अधिकारी पुष्कर ने नजरअंदाज कर निर्णय पारित कर दिया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2016 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 से 23 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेसपोडेंट संख्या 3 से 23 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि कृषि भूमि ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर स्थित खसरा नम्बर 883 रकबा 02–08–10 खसरा नम्बर 885 रकबा 01–06–00 खसरा नम्बर 886 रकबा 00–12–00 खसरा नम्बर 887 रकबा 00–01–00 एवं खसरा नम्बर 888 रकबा 00–06–10 वर्किंग जमाबंदी में खाता नम्बर 109 में भंवरसिंह मुतबन्ना मूलसिंह राजपूत दर्ज है। खसरा नम्बर 886 व 887 में भूमि पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चावण्डिया का भवन लगभग चालीस पचास वर्ष पूर्व बना

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

हुआ है तथा खसरा नम्बर 883, 885, 888 पर स्थानीय ग्रामीणों के चालीस–पचास मकान बने है। इस प्रकार उक्त भूमि खातेदार द्वारा प्रार्थी संख्या 1 द्वारा कृषि कार्य में न ली जाकर उक्त भूमि अकृषि भूमि के रूप में काम में ली जा रही है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत् 2043–54 तक हाल खसरा नम्बर आबादी व स्कूल दर्ज है तथा कार्यालय ग्राम पंचायत गनाहेड़ा द्वारा लिया गया प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 21.07.2009 एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रस्ताव संख्या 12 दिनांक 26.01.2013 से भी उक्त भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ होना पुष्टि होती है। इस कारण उक्त भूमि में खातेदार प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी हक समाप्त किए जाकर राजकीय भूमि घोषित किए जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है, कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

9. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 संख्या द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 60 एवं 177 राज0काश्त0अधि0 1955 दिनांक 20.06.2018 को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात में अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर भूमि राजकीय भूमि के रूप में राजस्व अभिलेखमें दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है । विचारण न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 20.06.2018 के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी ने न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 09.08.2019 को मियाद बाहर अपील पेश की है । अपीलांट ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधि0 पेश किया है जिसमें कथन किया है कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने उसे आश्वस्त कर रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी सूचित कर देंगें किन्तु प्रार्थी के अधिवक्ता ने उसे कोई सूचना नहीं दीं जिससे अपीलाधीन आदेश की निर्णय दिनांक को जानकारी नहीं हो सकी थी । इस संबंध में अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष नियुक्त अपने अधिवक्ता का कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया है जिससे उसके उक्त कथन की ताईद हो । अपने प्रकरण की जानकारी करना पक्षकार की स्वंय की भी जिम्मेदारी है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये है जबकि अपीलांट को अपील में हुए विलंब के संबंध में दिन–प्रतिदिन के कारण स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक था। आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 801 में उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :–"Limitation Act, 1963-Sec.5-condonation of delacy-Sufficient cause-delay of three days in filing appeal-No sufficient cause explained for delay-Held, Application & appeal dismissed."

10. उक्त न्यायिक दृष्टांत के परिपेक्ष्य में अपीलांट को विलंब के संबंध में विलंब के समुचित एवं ठोस कारण अंकित करना आवश्यक था जिसमें वह असफल रहा है । अतः अपीलांट द्वारा विलंब के संबंध में समुचित एवं ठोस कारण अंकित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 खारिज किया जाता है ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

11. अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 खारिज होने से अपील मियाद बिन्दू पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

12. निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner